उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-114/2019/1550/92-2-2019-22(जांच)/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 22 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ. में वर्ष 2015-16 मे चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों की टी0ए0सी0 जांच आख्या में निर्माण कार्य अधोमानक, गुणवत्ता विहीन तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-90/2017/496/92-2-2017-22(जांच)/2017, दिनांक 09.06.2017 द्वारा श्री चन्द्रिका सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री चन्द्रिका सिंह यादव अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो गये। तत्क्रम मे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.06.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-177/2018/3081/92-2-2018-22(जांच)/2017, दिनांक 06.12.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया।

3- शासन के पत्र दिनांक 16.08.2017 द्वारा श्री चन्द्रिका सिंह यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपने दिनांक रहित पत्र द्वारा नियमानुसार जांच करते हुए जांच आख्या शासन मे दिनांक 31.01.2018 को उपलब्ध करायी गयी।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-05 आरोपों को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे अपचारी अधिकारी श्री चन्द्रिका सिंह यादव के बचाव उत्तर के सापेक्ष अधिरोपित आरोपों में से आरोप संख्या-02, 03 एवं 05 को प्रमाणित नहीं पाया गया किन्तु आरोप संख्या-01 एवं 04 को शिथिल पर्यवेक्षण हेतु आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 05.12.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा जो उनके पत्र दिनांक 07.02.2019 द्वारा शासन मे उपलब्ध कराया गया।

5- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त श्री चन्द्रिका सिंह यादव को शिथिल पर्यवेक्षण हेतु आंशिक रूप से उत्तरदायी पाया गया किन्तु श्री चन्द्रिका सिंह यादव अपनी शासकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गयें हैं ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-90/2017/496/92-2-2017-22(जांच)/2017, दिनांक 09.06.2017 द्वारा श्री चन्द्रिका सिंह यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-177/2018/3081/92-2-2018-22(जांच)/2017, दिनांक 06.12.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया मे उनको दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-114/2019/1550(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद।
3- श्री चन्द्रिका सिंह यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।